

## न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2022/169

1. सरजीत सिंह यादव पुत्र श्री श्रीराम यादव, सुरजी देवी पुत्री पार्वती पुत्री श्योनाथ।
2. रामानन्द पुत्र श्री गणपत राम एवं बसन्ती पुत्री पार्वती पुत्री श्योनाथ
3. महावीर पुत्र श्री सोबडराम उर्फ जगदीश यादव, पार्वती पुत्री श्योनाथ समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम मोहनपुरा, जोधपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर.
4. दिनेश सिंह खोला पुत्र श्री सुल्तान सिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम मोहनपुरा, जोधपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (मु० आम अपीलांट संख्या 1 लगायत 3)

—अपीलांट्स

### बनाम

1. अमर सिंह
2. राधेश्याम पुत्र सूरजभान यादव निवासी जोधपुरा मोहनपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज०।
3. रामसिंह यादव पुत्र सूरजभान निवासी शाहपुर गुंता तहसील बानसूर जिला अलवर।
4. शांति पुत्री सूरजभान, पत्नी रामनिवास निवासी शाहपुर गुंता तहसील बानसूर जिला अलवर।
5. ईमरती पुत्री सूरजभान पत्नी बस्तीराम यादव पटवारी निवासी ग्राम हमीदपुर तहसील बहरोड जिला अलवर।
6. रेवती पुत्री सोहन पत्नी जलेशिंह यादव निवासी सी-187 हसन खां नगर अलवर।
7. श्रवण पुत्री सोहन पत्नी प्रकाशचन्द यादव निवासी ग्राम मनसासुर पोस्ट बलवा का बास तहसील बानसूर जिला अलवर।
8. रीता पुत्री कौशल्या पत्नी सुरेश कुमार यादव निवासी ग्राम टाकेडी तहसील किशनगढ बास जिला अलवर राज०।
9. रीना पुत्री कौशल्या पत्नी रामजस यादव निवासी ग्राम टाकेडी तहसील किशनगढबास जिला अलवर।
10. सरिना पुत्री कौशल्या पत्नी सुरेश कुमार यादव ग्राम राई खेडा तहसील तिजारा जिला अलवर राज०।
11. तहसीलदार, कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज०।
12. फूली देवी पत्नी कुरडाराम पुत्री श्योनाथ निवासी ग्राम मंगलवा तहसील बानसूर जिला अलवर।
13. दीपचन्द पुत्र कुरडाराम
14. गिरिराज पुत्र कुरडाराम निवासी ग्राम मंगलवा तहसील बानसूर जिला अलवर।
15. राजेश पुत्री कुरडाराम पत्नी श्री प्रकाशचन्द यादव निवासी ढाणी बेरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०।
16. ओम प्रकाश पुत्र सुरजी पुत्री पार्वती पुत्री श्योनाथ पुत्र श्रीराम त्यागी निवासी ग्राम सानोली त्यागियो का मोहल्ला पो० सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
17. सुभाष उर्फ अनिल पुत्र सुरजी पुत्री पार्वती पुत्री श्योनाथ पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम सानोली त्यागियों का मोहल्ला पो० सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
18. शकुन्तला पुत्री सुरजी पुत्री पार्वती पुत्री श्योनाथ
19. लालाराम

20. हनुमान

21. सविता

22. मूरती पुत्रान व पुत्रियां बसन्ती पुत्री पार्वती पुत्री श्योनाथ निवासी उपरोक्त।

23. रमेश पुत्रमोहरली पुत्री पार्वती पुत्री श्योनाथ समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम मोहनपुरा जोधपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज०।

24. उप पंजीयक सब-रजिस्ट्रार कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय अति० जिला कोटपूतली आदेश दिनांक 22.12.2021 अपील संख्या 56/2021 उनवानी अमर सिंह वगै० बनाम तहसीलदार कोटपूतली बाबत् नामान्तरकरण संख्या 1062 ग्राम मोहनपुरा।

उपस्थित—

1. श्री हेमन्त दीक्षित वकील अपीलान्त
2. श्री मनीष पारीक वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री रामचन्द्र देगडा वकील रेस्पो० संख्या 16, 18 से 23 की ओर से।
4. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 11 व 24 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—06.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अति० जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड के निर्णय दिनांक 22.12.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा-5 के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष तहसीलदार द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1062 ग्राम मोहनपुरा आदेश दिनांक 10.09.2021 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1062 ग्राम मोहनपुरा दिनांक 10.09.2021 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 1062 को स्वीकार करने के आदेश दिनांक 22.12.2021 को दिये गये।
3. अति० जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स सरजीत सिंह यादव पुत्र श्री श्रीराम यादव वगै० द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति० जिला कलक्टर कोटपूतली के निर्णय दिनांक 22.12.2021 को निरस्त कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये तहसीलदार कोटपूतली को रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट के पूर्वज पार्वती व भोती पुत्रियां श्योनाथ को उनके पिता श्योनाथ पुत्र खीवा की विरासत में शामिल ही नहीं किया गया, इस कारण नामान्तरण सं० 1062 पर पटवारी ने जो दिनांक 03.08.2021 को विरासत के बारे में संशय होने की रिपोर्ट की है, वो पूर्णतया सही एवं विधि अनुरूप है तथा तहसीलदार कोटपूतली ने जिस आदेश दिनांक 10.09.2021 से नामान्तरण संख्या 1062 को, खारिज किया है, वह आज्ञा भी पूर्णतया विधि सम्मत है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधि सम्मत आज्ञा दिनांक 10.09.2021 बाबत नामान्तरण संख्या 1062 को निरस्त करने में अवैध निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। ए.डी.एम. कोटपूतली ने बिना विरासत की सम्पूर्ण एवं विधिवत जांच कराये ही स्वयं ने ही तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिस ढंग से नामान्तरण संख्या 1062 को अपने स्तर पर ही स्वीकार किया है, वह आज्ञा जैर अपील सरासर कानून के विपरीत होने निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोंड संख्या 1 व 2 की प्रथम अपील नामान्तरण संख्या 1062 ग्राम मोहनपुरा दि० 10.09.2021 के विरुद्ध दिनांक 08.12.2021 को पेश अपील से तीन माह बाद पेश हुई थी तथा प्रथम अपील की मियाद गुजरने के बाद पेश की गई थी, ना ही मियाद को कंजोन करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश ही नहीं किया था, ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विलंब से पेश की गई अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर परीक्षण किये ही गुणावगुणों मेरिट पर निर्णित कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि विरासत के नामान्तरण के समय कतई कोई सुनवाई व नोटिस जारी नहीं किया फिर भी ए. डी. एम. ने तहसीलदार से विरासत की संपूर्ण जांच कराये बिना स्वयं ही तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नामा० संख्या 1062 को अपने स्तर पर ही स्वीकार करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति० जिला कलेक्टर कोटपूतली दिनांक 22.12.2021 को निरस्त कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये रिमाण्ड किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स ना तो तहसीलदार कोटपूतली के द्वारा फैसल नामान्तरण संख्या 1062 ग्राम मोहनपुरा दिनांक 10.09.2021 में पक्षकार थे ना ही प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपूतली प्रकरण संख्या 56/2021 बअनुवानी अमरसिंह बनाम तहसीलदार वागै० निर्णय दिनांक 22.12.2021 में पक्षकार थे ऐसी सूरत में अपीलान्ट्स को उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है अधीनस्थ न्यायालय एवं प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पत्रावली के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत की

जा सकती है इसलिये बिना किसी अधिकार के कानून के विपरीत जाकर प्रस्तुत की गयी उपरोक्त द्वितीय अपील विधि विरुद्ध होने के कारण चलने योग्य नहीं है। तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 1062 ग्राम मोहनपुरा मृतक के विरासत का इंतकाल पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर तस्दीक किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था जिसे तहसीलदार महोदय ने बिना कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित किये खारीज कर दिया था जिसके विरुद्ध रेस्पॉण्डेंट संख्या 01 व 02 ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपूतली के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की एवं प्रथम अपील न्यायालय द्वारा प्रकरण में युक्तियुक्त सुनवाई करने के उपरान्त नामान्तकरण संख्या 1062 स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये।

अपीलान्तगण द्वारा उपरोक्त अपील में बोदु के दो बहिन पार्वती व भौती का होना जाहिर करते हुये स्वयं को पार्वती व भौती का वारिस बतलाते हुये उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी है गौरतलब हो कि प्रकरण विरासत इंतकाल का है तथा बोदु पुत्र श्योनाथ लाऔलाद फौत हुये थे तथा उपरोक्त प्रकरण में विचाराधीन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि में पूर्व में भी ग्राम पंचायत द्वारा श्योनाथ के भाई महादेव के वारिसान रेस्पॉण्डेंटगण संख्या 01 लगायत उपरोक्त विरासत 10 के नाम नामान्तकरण जरिये नामान्तकरण 334 ग्राम मोहनपुरा स्वीकृत तस्दीक किया दिनांक 21.09.2006 नामान्तकरण को महज कयास के आधार पर कि बोदु की दो बहिने और थी जिनका देहान्त हो गया जिनके वारिस अपीलान्त व तरतीबी रेस्पॉण्डेंट है के आधार पर चुनौती दिया जाना कानूनन संभव नहीं है यदि अपीलान्त व तरतीबी रेस्पॉण्डेंटगण का उपरोक्त प्रकरण में विचाराधीन भूमि में कोई हित है तो उन्हें खातेदारी अधिकारो का नियमित वाद प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। नामान्तकरण एक फिजकल प्रोसिडिंग है तथा नामान्तकरण के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नहीं की जा सकती। बोदू पुत्र श्योनाथ की मृत्यु उपरान्त उनके विरासत इंतकाल अपीलांट के नाम दर्ज होने के उपरान्त भूमि का ग्रासिम इण्ड. द्वारा अवाप्त कर ली गई है एवं वर्तमान में भूमि ग्रासिम इण्ड. के नाम दर्ज है ऐसी सूरत में नामान्तरकरण संबंधित पत्रावली के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार कोई कानूनी हक हासिल नहीं रखते है। अतः अपीलांट का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक अधिकार कानूनन नही बनते है। अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर कोटपूतली द्वारा विधिवत् ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

- हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अपीलांट के कथनानुसार दफा-5 के अंकित कथनो पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार बोदू पुत्र सोना जाति अहीर की विरासत को लेकर है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण 1062 दिनांक 15.07.2021 को भरा गया। तत्पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.08.2021 को विरासत के बारे में संशय होने एवं वारिसान् सही नहीं पाये जाने बाबत् रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 10.09.2021 को

नामान्तरकरण संख्या 1062 खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि नामान्तरकरण संख्या 1062 में बोदू पुत्र श्योनाथ व जडावली पत्नी सूरजभान जाति अहीर की विरासत दर्ज की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा मृतक खातेदार बोदू के दो बहिन पार्वती व भौती का होना जाहिर करते हुये स्वयं को पार्वती व भौती का वारिस बतलाते हुये आपत्ति की है। जिससे जाहिर है कि अपीलान्ट्स को जडावली पत्नी सूरजभान की विरासत पर कोई आपत्ति नहीं है। कानूनन विरासत का नामान्तरकरण समस्त विधिक वारिसान् के नाम ही तस्दीक किया जाना चाहिए। जब विधिक वारिसान् के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1062 को स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को बोदू की विरासत के संबंध में समस्त विधिक वारिसान् की जाँच हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए था। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर कोटपूतली का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर कोटपूतली का निर्णय दिनांक 22.12.2021 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 1062 ग्राम मोहनपुरा दिनांक 10.09.2021 बोदू पुत्र श्योनाथ की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में बोदू पुत्र श्योनाथ के समस्त विधिक वारिसान् की जाँच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।



(पूनम)

संभागीय आयुक्त,  
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



संभागीय आयुक्त,  
जयपुर